



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of UP)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण, इसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति प्रणाली सहित-

(क) कार्यपालकों के वेतनमान 01.01.2017 से प्रभावी

| स्तर (लेवेल्स) | पुनर्क्षित वेतनमान |
|----------------|--------------------------|
| इ0 | 30,000-3%-1,20,000 |
| इ1 | 40,000-3%-1,40,000 |
| इ2 | 50,000 - 3% - 1,60,000 |
| इ3 | 60,000 - 3% - 1,80,000 |
| इ4 | 70,000 - 3% - 2,00,000 |
| इ5 | 80,000 - 3% - 2,20,000 |
| इ6 | 90,000 - 3% - 2,40,000 |
| इ7 | 1,00,000 - 3% - 2,60,000 |
| इ8 | 1,20,000 - 3% - 2,80,000 |
| इ9 | 1,50,000 - 3% - 3,00,000 |

मंहगाई भत्ता(डीए) पर्स एवं अन्य भत्ते

1. कार्यपालकों के लिए 'कैफेटेरिया एप्रोच' के तहत पर्स एवं अन्य भत्ते @ मूलवेतन का 35 %
2. आवास लीज़/ आवास भत्ता (एचआरए)
3. पीपलकोटी, मलारी झेलम, झेलम तमक और बोकांग बेलिंग में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष भत्ता @ मूलवेतन का 8 %
4. चिकित्सा अधिकारियों को नॉन प्रेक्टिस भत्ता (एनपीए) @ मूलवेतन का 20 %
5. प्रदर्शन आधारित वेतन (पीआरपी)

6. टेलीफोन/मोबाईल सुविधा
7. वाहन प्रतिपूर्ति
8. चिकित्सा सुविधा

(ख) पर्यवेक्षक और कामगार श्रेणी के वेतनमान 01.01.2017 से प्रभावी

पर्यवेक्षक

| स्तर (लेवेल्स) | वेतनमान |
|----------------|---------------|
| एस 1 | 29200--119000 |
| एस 2 | 29400--119200 |
| एस 3 | 29600--119500 |
| एस 4 | 29800--119700 |
| एसजी | 29900--119900 |

कामगार

| स्तर (लेवेल्स) | वेतनमान |
|----------------|---------|
| डब्ल्यू 0 | 20000 |
| डब्ल्यू 1 | 20500 |
| डब्ल्यू 2 | 21000 |
| डब्ल्यू 3 | 21500 |
| डब्ल्यू 4 | 22000 |
| डब्ल्यू 5 | 22500 |
| डब्ल्यू 6 | 23000 |
| डब्ल्यू 7 | 24000 |

| | |
|-------------|-------|
| डब्ल्यू 8 | 25000 |
| डब्ल्यू 9 | 26000 |
| डब्ल्यू 10 | 27000 |
| डब्ल्यू 11 | 28000 |
| डब्ल्यूएसजी | 29000 |

वेतन वृद्धि @३.०%

अन्य भत्ते

1. मंहगाई भत्ता
2. विशेष भत्ता
3. 'कैफेटेरिया एप्रोच' के तहत पर्स एवं अन्य भत्ते @ मूलवेतन का 35 % तक सीमित
4. आवास किराया भत्ता/ कंपनी द्वारा उपलब्ध आवास
5. वाहन खर्च की मासिक प्रतिपूर्ति
6. मोबाईल सुविधा
7. समूह बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
8. ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड
9. लघु/ दीर्घ अवधि के लिए अग्रिम
10. अवकाश/ अवकाश का नकदीकरण
11. प्रोत्साहन राशि/ पीआरपी आदि